मुन्तकिली प्रकरण सं0 13/2018 अनवानी रामीदेवी पुत्री श्री हरजीराम पत्नि श्री बृजलाल जाति कुम्हार निवासी चक 6 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–मघाराम पुत्र श्री हरजीराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर 2–मनीराम 3–भादरराम 4–हंसराज 5–तहसीलदार, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.01.2018

प्रार्थीया के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई का कथन है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 आपस में भाई बहिन है और पक्षकारान के पिता हरजीराम पुत्र नंदराम के नाम चक 5 एम.एस.आर. के पत्थर न0 326/432 मु0न0 33 के कि0 न0 1 ता 25 की 6.0700 हे0 भूमि दर्ज कागजात है और हरजीराम का देहान्त होने पर उक्त भूमि सभी वारिसान को प्राप्त हुई किन्तु अप्रार्थी सं0 1 ता 4 द्वारा एक कूटरचित वसीयत के आधार पर प्रार्थीया को बिना सुने ईन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसके विरूद्ध अपील करने पर आदेश दिनांक 24.08.17 से अपील स्वीकार कर मामला पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 5/17 पर दर्ज कर आयन्दा सुनवाई हेतु 02.01.2018 निश्चित की और आदेश की पालना में विवादग्रस्त भूमि पुनः हरजीराम के नाम दर्ज हो गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में एक नियमित राजस्व वाद संख्या 104/14 अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार है और उसमें वादग्रस्त भूमि बाबत अन्तिम निस्तारण होना शेष है। इसलिए प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में ईन्तकाल की कार्यवाही स्थगित करने की प्रार्थना की। इस पर न्यायालय ने सरेआम कहा कि पूर्व में भी वसीयत के आधार पर ईन्तकाल तस्दीक हुआ है और अब भी वसीयत के आधार पर ईन्तकाल दर्ज करने का आदेश देंगें। इसलिए प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की संभावना है। इसलिए प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश दिये जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि गत पेशी पर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीया को कहा था कि पूर्व में वसीयत के आधार पर ईन्तकाल हुआ था और अब भी करेंगे और प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशीयां देकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रकरण निर्णित करने के प्रयास में है। इसलिए प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय की प्रणाली से विश्वास हो गया है कि उसे न्याय नही मिलेगा। इसलिए रिमाण्ड प्रकरण सं0 5/17 मघाराम वगैरा बनाम सरकार किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया ने तहसीलदार, अनूपगढ़ के न्यायालय में लंबित ईन्तकाल रिमाण्ड प्रकरण सं0 5/17 मघाराम बनाम सरकार में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया के अनुसार उसके पिता हरजीराम के नाम से चक 5 एम.एस. आर. में मु0न0 33 में 1 ता 25 में 6.0700 हे0 भूमि दर्ज कागजात है और हरजीराम का देहान्त होने के पश्चात उक्त भूमि सभी वारिसान को प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थीया का भी अन्य वारिसान के साथ हिस्सा है और ईन्तकाल प्रकरण रिमाण्ड होने के पश्चात भी वसीयत के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में ईन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही की जा रही है जबकि उन्हे कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त ईन्तकाल प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है और उन्हें रिमाण्ड आदेश में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही करनी है जिसमें इस न्यायालय को किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नही है। जहां तक छोटी छोटी तारीख पेशीयां देकर निस्तारण करने का प्रश्न है इससे यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रकरण का निस्तारण करने के लिए तत्पर है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थीया का मुन्तकिली प्रार्थना पर एडमिशन की स्टेज पर खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर